झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में जनसेवकों (वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे–2400) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

झारखण्ड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि कार्यो पर निर्भर है। राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यो में लगी है, जो इनके नियोजन तथा आय का मुख्य श्रोत है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था मूलतः प्रकृति पर निर्भर है, जहां साल में मुख्यतः एक फसल लेना ही संभव हो पाता है तथा विभिन्न फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाए जाने हेतु बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें कृषकों तक पहुंचाने हेतु एक सुदृढ़ प्रसार तंत्र की आवश्यकता है।

संप्रति राज्य में जनसेवकों के 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जिन्हें भरे जाने की नितांत आवश्यकता है ताकि इन जनसेवकों के माध्यम से कृषि प्रक्षेत्र में विकसित उन्नत तकनीकी सूचनाओं, आदि को किसानों तक पहुँचाया जा सके तथा किसानों की कठिनाईयों को दूर करने की दिशा में ठोस एवं सार्थक प्रयास किए जा सकें।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की अधिसूचना सं0 1411 दिनांक 25.05.2011 के द्वारा जनसेवक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली, 2011 अधिसूचित करते हुए सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू की गई है, जिसमें वर्णित विभिन्न प्रावधानों के आलोक में जनेसवक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है।

तदनुसार झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में जनसेवकों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं सुपात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं :

1. **शैक्षणिक योग्यता** : सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड की (10+2) इन्टरमीडियट (विज्ञान) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा, जिसके पाठ्यक्रम में भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान, (Chemistry), जीव विज्ञान (Biology) एवं गणित (Mathematics) में से कम से कम 3 (तीन) विषय शामिल हो एवं उम्मीदवार उसमें उतीर्ण हो तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान हो।
2. **उम्र सीमा** : रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 30.06.2011 को निम्नवर्णित् अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा के अंतर्गत उम्मीदवार आवेदन जमा कर सकते हैं:

वर्ग/कोटि	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र
अनारक्षित	21 वर्ष	35 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	21वर्ष	37 वर्ष
अनु0 जाति/जनजाति (पुरूष एवं महिला)	21 वर्ष	40 वर्ष
महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	21 वर्ष	38 वर्ष

3. **आरक्षण** : रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में आरक्षण का लाभ केवल वैसे अभ्यार्थियों को दिया जायेगा, जो झारखण्ड राज्य के लिए भारतीय संविधान की अनुसूची (V) एवं (VI) में झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित किये गये है और पिछड़े वर्गो की वैसी जातियों, जिनका उल्लेख प्रासंगिक अधिनियम में है।

आरक्षण का लाभ तभी दिया जायेगा जब अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, जो कम से कम अनुमण्डल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होंगे।

ऐसा प्रमाण पत्र झारखण्ड राज्य बनने के पूर्व अगर झारखण्ड क्षेत्र के समक्ष पदाधिकारी द्वारा जो उस समय का झारखण्ड क्षेत्र में पदस्थापित थे, जाति का प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसकी भी मान्यता दी जायेगी।

4. राज्य के विभिन्न जिलों में जनसेवकों के रिक्त पदों की स्थिति, आरक्षण एवं आवेदन पत्र केन्द्रों की सूची निम्नवत् है :

क0	जिला (नाम)	कुल रिक्त पद	आरक्षण					आवेदन पत्र केन्द्र (स्थल)
			अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0ज0 जाति	पिछड़ा वर्ग	अति पिछड़ा वर्ग	
1	रांची	56	22	03	27	02	02	जिला नियोजन कार्यालय, रांची
2	गुमला	34	–	04	30	–	–	जिला नियंत्रण कक्ष, गुमला
3	गढ़वा	74	36	18	11	03	06	जिला कृषि कार्यालय प्रांगण, गढ़वा
4	डालटनगंज	111	55	30	09	07	10	जिला नियोजन कार्यालय, डालटनगंज
5	सिमडेगा	39	15	03	21	00	00	जिला नियंत्रण कक्ष, सिमडेगा
6	जमशेदपुर	79	44	05	26	04	–	जिला नियोजन कार्यालय, घाटशिला/ जमशेदपुर
7	चाईबासा	28	19	03	06	–	–	जिला नियंत्रण कक्ष, चाईबासा
8	सरायकेला	7	–	–	7	–	–	जिला समाहरणालय, सरायकेला
9	खूंटी	52	25	04	23	–	–	जिला नियोजन कार्यालय, खूंटी
10	लातेहार	70	35	15	20	–	–	जिला नियोजन कार्यालय, लातेहार
11	लोहरदगा	58	29	02	27	–	–	जिला नियोजन कार्यालय, लोहरदगा
12	रामगढ़	36	18	04	07	03	04	अंचल कार्यालय रामगढ़/गोला/ पतरातु/माण्डू
13	हजारीबाग	106	45	27	07	12	15	जिला नियंत्रण कक्ष, हजारीबाग
14	कोडरमा	48	22	09	05	05	07	सभी प्रखंड कार्यालय एवं जिला कृषि कार्यालय, कोडरमा
15	चतरा	87	32	18	16	09	12	जिला नियंत्रण कक्ष, चतरा
16	बोकारो	63	33	08	07	07	08	प्रखंड कार्यालय परिसर – 09 केन्द्र अनुमण्डल कार्यालय परिसर– 02 केन्द्र
17	गिरीडीह	183	91	23	23	20	26	सभी प्रज्ञा केन्द्र एवं मुख्यालय, गिरीडीह
18	धनबाद	106	33	27	16	12	18	जिला कृषि कार्यालय मिश्रित भवन, धनबाद
19	दुमका	104	38	34	04	–	–	जिला विकास शाखा, दुमका
20	देवघर	110	55	14	14	11	16	देवघर समाहरणालय का जिला नजारत, देवघर/अनुमण्डल नजारत, देवघर/मधुपुर एवं सभी प्रखंड कार्यालय, देवघर
21	गोड्डा	125	63	10	31	09	12	सभी प्रखंड कार्यालय/सभी अनुमण्डल कार्यालय एवं जिला समाहरणालय, गोड्डा
22	जामताड़ा	58	29	05	19	03	02	जिला नियोजनालय कार्यालय, जामताड़ा
23	साहेबगंज	116	58	06	44	03	05	जिला नियंत्रण कक्ष, साहेबगंज।
24	पाकुड़	86	43	04	33	03	03	जिला परिवहन कार्यालय, पाकुड़
	योग	**1836**	**840**	**276**	**433**	**113**	**146**	

5. उपयुक्त अर्हताएं पूरी करने वाले इच्छुक उम्मीदवार उपयुक्त कंडिका – 3 के स्तंभ – 10 में अंकित आवेदन पत्र केन्द्र से दिनांक 27.10.2011 से दिनांक 10.11.2011 तक अध्यक्ष, आत्मा शासी निकाय, ... (जिला का नाम) के पक्ष में संबंधित जिला मुख्यालय में भुगतेय आवेदन शुल्क की राशि रेखांकित बैंक ड्राफट् के रूप में जमा करेंगे, जिसके विरूद्वऐसे उम्मीदवार को आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र निर्गत किया जायेगा।

6. **आवेदन शुल्क :**

6.1 सामान्य जाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों (महिलाओं सहित) के द्वारा रू0 250.00 (दो सौ पचास रू0) का बैंक ड्राफट् आवेदन पत्र प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र केन्द्र में जमा करना होगा।

6.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों (महिलाओं सहित) को उनके लिए अनुमान्य आवेदन शुल्क रू0 150.00 के बैंक ड्राफट् के साथ अपना अभिप्रमाणित जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र केन्द्र में जमा करना अनिवार्य होगा।

7. आवेदन पत्र प्रपत्र के साथ संलग्न आवेदन पत्र निर्देशिका में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार संबंधित जिले के निर्धारित आवेदन पत्र केन्द्र में दिनांक 17.11.2011 को 1700 बजे (5 बजे अपराहन्) तक आवेदन पत्र निश्चित रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए।
निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जाएगा तथा उन्हें प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

8. किसी एक उम्मीदवार के द्वारा मात्र एक ही जिले के लिए आवेदन पत्र समर्पित किया जायेगा, जिस कम में संबंधित जिले में उपलब्ध रिक्ति एवं आरक्षण की स्थिति को देखते हुए तैयार की गयी मेधा सूची के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा अनुशंसा की जायेगी, जिसके आधार पर संबंधित उपायुक्त के स्तर से विधिवत् नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।

9. प्रत्येक उम्मीदवार को आवेदित जिले में यथा निर्धारित परीक्षा केन्द्र में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :

क0	विषय	अधिकतम अंक	न्यूनतम उतीर्ण अंक		अवधि	तिथि	समय
1	हिन्दी	100		30	90 मिनट	8.1.12	1000–1300
2	अंग्रेजी	100		30	90 मिनट	8.1.12	
3	सामान्य ज्ञान एवं कृषि	100	सामान्य वर्ग –	40	90 मिनट	8.1.12	1400–1700
			पिछड़ा वर्ग –	36.5			
			पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर –I–	34			
			अनु0 जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग–	32			
4	सामान्य विज्ञान	100	सामान्य वर्ग –	40	90 मिनट	8.1.12	
			पिछड़ा वर्ग –	36.5			
			पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर –I–	34			
			अनु0 जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग–	32			

प्रश्न पत्र वस्तुनिश्ठ परक (objective type) होगा तथा यंह इन्टरमीडिएट परीक्षा हेतु निर्धारित झारखण्ड अधिविध् परिषद तथा सी0 बी0 एस0 ई0 पाठ्यकम पर मुख्यतः आधारित होगा।

10.

10.1 लिखित परीक्षा केन्द्रों की सूचना निर्गत किए गए प्रवेश पत्र में अंकित रहेगी, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.sameti.org एवं www.jharkhand.gov.in पर भी प्रकाशित की जायेगी।

10.2 यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा की तिथि से 3 (तीन) दिन पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त नही होता है तो ऐसे उम्मीदवार संबंधित जिले के उपायुक्त से सम्पर्क कर प्रवेश पत्र की duplicate copy अपने परिचय की सम्पुष्टि के उपरांत प्राप्त कर सकेंगे।

11. **शारीरिक योग्यता :** शारीरिक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि प्रक्षेत्र में कार्य करने की क्षमता संबंधी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अंतिम चयन के उपरात नियुक्ति से पूर्व समर्पित उपस्थित करना होगा।

12. **चरित्रः** अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति से पूर्व उनका विधिवत् चरित्र सत्यापन किया जाएगा तथा उत्तम चरित्र के सफल उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया जाएगा।

13. **सामान्य निर्देश :**

13.1 प्रत्येक उम्मीदवार के द्वारा 31 से.मी. x 21 से.मी. आकार का स्वपता लिखित लिफाफा (self addressed pre stamped envelop), जिसपर रू0 25.00 (पच्चीस रू0) मात्र का टिकट लगाना अनिवार्य होगा, ताकि निबंधित डाक से इस लिफाफे में प्रवेश पत्र विधिवत् प्रेशित किया जा सके।

13.2 आधे – अधूरे एवं काट – छांट किए गए आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिए जाऐंगे।

14.

14.1 निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन – पत्र अथवा अपूर्ण/काट – छांट किए गए आवेदन – पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

14.2 अद्यतन पासपोर्ट साईज का फोटो निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाएँ और तीन पासपोर्ट साईज का फोटो स्व–अभिप्रमाणित कर साथ संलग्न करें।

निदेशक कृषि
झारखण्ड, रांची

पी.आर. 45918(कृषि) 11–12